

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला
चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 56 / 2015

दायर दिनांक 09.09.2015

रेशन	उनवान	सरकार
	बनाम	

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 89 आरटीए

निर्णय दिनांक 10.01.2024

—: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी को उपस्थिति एवं बहस हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं, आज भी अनुपस्थित। बार-बार आवाजें लगाई गई, उपस्थित नहीं आए। प्रकरण अदम हाजिरि/अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

